न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व दरखवास्त संख्या : 134/2009

सायला :-
1-गीता पुत्री रामदीनसिंह
जाति-राजपूत निवासी-लक्ष्मीनारायण
मंदिर के पास बड़ा बाजार-आ0कालू
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

गै0सा0 :-
1-मला गोद पुत्र बुधा
जाति-माली, निवासी-मालीयो
की हथाई के पास आ0-कालू
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 19/02/2009

उपस्थितः- 1. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 26/06/2015

वकील मय सायला ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-आ0कालू, तहसील-जैतारण में सायला के पैतृक भूमि खसरा नम्बर 527 रकबा 4-02 बीघा वाके हैं। जिस पर पिता उनके जीवनकाल से ही सायला व उसके पति का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। संवत् 2011 से 2030 की खतौनी वन्दोबस्त में सायला के पिता का नाम वतौर डोलीदार दर्ज हैं। इस खसरा नम्बर में गै0सा0 के पिता की या किसी अन्य की खातेदारी नहीं हो सकती। अतः गलती से उसका नाम खसरा नम्बर की भूमि में दर्ज कर दिया। राधा भुआ जो बाल विधवा थी, जो गीता का पालन पोषण करती थी, जो 20 साल पूर्व फौत हो गयी। उक्त जमीन पर बुधा का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा, न ही उसका इस भूमि पर कोई हक या अधिकार हैं। इस साल भी सायला ने तिल मोठ वगैरा की खेती की व अंवेरी। खसरा गिरदावरी में संवत् 2015 से 2016 में सायला को अब स्वर्गवासी बाल विधवा भुआ राधाबाई सायला के छोटी होने से काश्त कर रही थी व सम्वत् 2010 में भुआ के मार्फत खेती सायला के पिता द्वारा की जाना दर्ज हैं। बुधा व उसकी पत्नि की मृत्यु हो गयी हैं व मला उसके गोद हैं। सायला का मुख्य धन्धा कृषि हैं। व उसी से उसका व उसके परिवार का गुजारा होता हैं। गै0सा0 अब धमकियॉं देता हैं कि जमीन उसके नाम दर्ज हैं। अतः आयन्दा सायला को खेती नहीं बोने देगा। जबकि यह जमीन शुरू से सायला के पूर्वजों की डोली की हैं, जिस पर गै0सा0 का हक कब्जा या अधिकार नहीं लगता, न कभी कब्जा काश्त रहा हैं। सायला वृद्ध अकेली हैं व अगर उसकी जमीन पर गै0सा0 ने जबरन कब्जा कर लिया या उसकी फसले नष्ट करा दी, तो सायला को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं होगी। रेकर्ड में बुधा का नाम गलत दर्ज हैं। उसे रद्द किया जाना व सायला के नाम खातेदारी की जाना कानून आवश्यक हैं। ताकि हमेशा के लिए लड़ाई टन्टा व केसबाजी समाप्त हो जायेगी। गै0सा0 की नियत खराब हैं, गलत रेकर्ड का गलत फायदा उठाकर धमकियॉं देते हैं कि वह जमीन किसी व्यक्ति या एस.सी.एस.टी.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वाले को बैच देगें व जबरन कब्जा कर लेगें। अगर गै०सा० ने ऐसा किया तो विविध केसबाजी व झगड़ेबाजी होगी। अपनी जमीन पर कब्जा गै०सा० या किसी अन्य को नहीं करने देगी। केवल मात्र रेकर्ड में नाम दर्ज होने से उसे कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते–कल दिनांक 27/10/2009 को भी उसने खते पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। पहले शांतिपूर्वक कब्जा काश्त होने से दावा / प्रार्थना पत्र की नौबत नहीं आयी। परन्तु अब उसकी ऐसी बदनियति को देखते हुए। यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गै०सा० के पेश किया हैं। गै०सा० के पास मानवबल ज्यादा हैं व सायला औरत हैं। उसका सामना नहीं कर सकती व उसकी धमकियों को देखते हुए। वह लडाई टन्टा को आमादा हैं व कब्जा उसका नहीं हैं। अतः प्राईमा फैसाई केस सायला का साबित हैं व खातेदारी में नाम गलत दर्ज होने से उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायला के पक्ष में हैं। मौके पर कब्जा होने से उसमें दखलन्दाजी करने या भूमि ट्रांसफर करने पर व सायला से कब्जा छीन लेने पर उसे असीम हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी व विविध केसबाजी होगी।

सायला का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै०सा० को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। जबाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ, जो सा०मि० हैं। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–आ०कालू में पेश हुई। वकुलाय बहस हेतु समय चाहते हैं। बार–बार समय दिये जाने के बावजूद बहस नहीं करने से बहस बन्द किया जाता हैं। गै०सा० को रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु वाद निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा–आ०कालू, तहसील–जैतारण में सायला के पैतृक भूमि खसरा नम्बर 527 रकबा 4–02 बीघा गै०सा० को अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज०)

निर्णय आज दिनॉक 26/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–आ०कालू पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज०)

Scanned by CamScanner